



Vivek Bhatia, I.A.S.  
Deputy Commissioner, Chamba  
Himachal Pradesh -176310

उपायुक्त एवं जिला मैजिस्ट्रेट, जिला चम्बा  
E-mail : dc-cha-hp@nic.in  
Tele. No.: 01899-224847, 089882-80116

D.O. No. : CBA- Agr./2020

Dated : 04-04-2020

## निवेदन

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश जिला चम्बा सभी किसान भाई बहनो से निवेदन करता है कि कर्फ्यू एवं 'लॉक डाउन' की अवधि समाप्त होने के साथ-साथ गेहूं, जौ, सरसो, आलू, एवम मटर आदि फसलो की कटाई, तुड़ाई भी शुरू हो जाएगी। कर्फ्यू एवं लाक डाउन की समाप्ति के बावजूद अभी तक कोरोना-19 का खतरा खत्म नहीं हुआ है। अतः समाज की सम्पूर्ण सुरक्षा एवं सभी नागरिको को समाजिक दायित्व का निर्वाह करना होगा जिसके लिए कृषक समाज को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके संकट की इस घड़ी मे अपने देश के भविष्य के लिए दृढ़ता से खड़ा होना पडेगा। जिसके लिए निम्न उपाय जो सरकार एवम जिला प्रशासन द्वारा दर्शाए गए है।

- 1.) सभी सामाजिक कार्य जो अत्यन्त जरूरी ना हो, अनिश्चित समय के लिये टाल दिये जाएं।
- 2.) जो सामाजिक कार्य अत्यन्त आवश्यक हो तथा एक से अधिक परिवार उसमें हिस्सा लेते है तो उस स्थिती मे सफाई, चेहरे पर मास्क, तथा निश्चित दूरी का तथा दूर से आभिवादन का तरीका "दो हाथ जोडकर नमस्कार" अपनाया जाए।
- 3.) जब भी गांव की पगडडियों पर पैदल चल रहे हो तो मास्क लगा कर ही घर से निकले तथा हाल चाल जानें।
- 4.) एक दूसरे के घर या रिश्तेदारी मे अनावश्यक न जाएं। अगर जरूरी हो जो मास्क एवं निश्चित दूरी के मानक अपनाएं।
- 5.) फसल की कटाई के दौरान केवल अपना ही परिवार खेत मे इकटठा काम करें। मास्क का प्रयोग सभी परिवारिक सदस्य कटाई के दौरान करें। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या कृषक मजदूर आपके साथ कटाई कार्य मे आवश्यक रूप से भाग ले रहा हो तो उस स्थिति मे निश्चित दूरी का मानक दृढ़ता से अपनाएं।
- 6.) अगर कटाई मशीनों से या दराटी से की जाए तो उसे एक दूसरे को देने से पहले दवाई से उपचार करके ही दें या लें।
- 7.) गेहूं की गहाई के दौरान थ्रैसर मालिक की दिन व समय परिवार के हिसाब से तय करना होगा। एक ही परिवार की उपज एक समय मे गहाई जाए। तत्पश्चात अपनी बारी के अनुसार पहले परिवार के जाने के बाद और फसल के उठाए जाने के बाद ही अन्य परिवार अपनी फसल थ्रैसिंग स्थान पर लेकर आवें। इस दौरान भी मास्क व निश्चित दूरी के मानक एवं हाथ धोने की व्यवस्था का खयाल रखा जाए।
- 8.) इसी तरह के मानकों व स्व-नियमो का पालन क्रमशः खेतो की जुताई, (मशीनो से या बैलो से) बिजाई, निराई, गुड़ाई व पौधारोपण के दौरान भी अपनाए जाने का निवेदन किया जाता है।

(विवेक भाटिया) भा.प्र.से.